



Neutral Citation No. -2026:AHC:5378

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 624 वर्ष 2025

धर्मेन्द्र प्रताप सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 10 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : मनोज यादव

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : अमर नाथ पांडे, अमित कुमार शुक्ला, भूपेन्द्र कुमार
त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, निजी प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार शुक्ला का ब्रीफ धारित कर रहे श्री कुलदीप नारायण तिवारी, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी-ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया।

2. प्रस्तुत लोकहित याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दाखिल की गई है :-

“ए) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी प्राधिकरण को निर्देशित/आदेशित किया जाए कि वह ग्राम कटरा, तहसील-बदलापुर, जनपद जौनपुर स्थित गाटा संख्या 20, क्षेत्रफल 0.0240 हेक्टेयर तथा गाटा संख्या 21, क्षेत्रफल 0.690 हेक्टेयर, जो राजस्व अभिलेखों में सड़क के रूप में दर्ज है (सड़क पोखता), पर प्रतिवादी संख्या 6 से 9 द्वारा तथा गाटा संख्या 19स, क्षेत्रफल 0.0810, जो राजस्व अभिलेखों में डिच (16-1) के रूप में दर्ज है, पर प्रतिवादी संख्या 10 एवं 11 द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाए।

बी) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर विचार करें तथा विधि के अनुसार, इस माननीय न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर, उपयुक्त कार्यवाही करें।”

3. इस न्यायालय के दिनांक 25.3.2025 के आदेश के अनुपालन में, राज्य की ओर से व्यक्तिगत शपथपत्र तथा प्रति-शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि विवादित भूखण्ड पर अवैध कब्जे में पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अंतर्गत वाद संख्या टी202514360202597, टी202514360202978, टी202514360202979, टी202514360202984 तथा टी202514360202989 के रूप में कार्यवाहियाँ पंजीकृत की गई हैं।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि संबंधित प्राधिकारी को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत लंबित कार्यवाहियों के शीघ्र निस्तारण हेतु उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएं।

5. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या-4/तहसीलदार, तहसील बदलापुर सदर, जनपद जौनपुर, उपर्युक्त उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाहियों को संबंधित पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, विधि के अनुसार, यथाशीघ्र उनकी तार्किक परिणति तक पहुँचाएं।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

जनवरी 8, 2026

सी.प्रकाश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।